

Filing no. RCS-A/626/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 171 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

**(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filing no. RCS-A/626/2017

CNR no. MP30010053702017

सिविल वाद क्रमांक 171 ए/2017

संस्थित दिनांक :-26/09/2017

रामकिशन पुत्र मोतीराम कोरी, उम्र-52 वर्ष,  
निवासी-ग्राम बिछौली, तहसील व  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी / आवेदक

**// बनाम //**

1. महिला कमला देवी पत्नी राम सिंह, उम्र-56 वर्ष,
2. राम सिंह पुत्र मुलू सिंह,  
दोनों निवासी-ग्राम बिछौली, तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)  
.....असल प्रतिवादीगण / अनावेदकगण
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म0प्र0),
4. रामरती बेवा मोतीराम,
5. रामबाबू पुत्र मोतीराम मृत द्वारा विधिक वारिस  
अ. बेवा जमुना पत्नी रामबाबू, उम्र-30 वर्ष,
6. निकुल पुत्र रामबाबू, उम्र-10 वर्ष नाबालिग  
सरपरस्त माँ जमुना पत्नी रामबाबू कोरी,
7. वीरेन्द्र पुत्र मोतीराम, उम्र-30 वर्ष,
8. रामकरन पुत्र मोतीराम, उम्र-36 वर्ष,  
निवासीगण-ग्राम बिछौली, तहसील व  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)  
.....तरतीबी प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री उमाकांत मिश्रा।  
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री सुभाष कटारे अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 3 एकपक्षीय।

**// आदेश //**

( आज दिनांक 09.01.2018 को घोषित )

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. यह वाद ग्राम ऐंतहार, राजस्व मण्डल पीपरी, तहसील व जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्र० 481 क्षेत्र 1.380 हे० (एतस्मिन् पश्चात् “विवादित भूमि” से निर्दिष्ट) में से वादी के हिस्से पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व व कब्जे की भूमि है और अभी तक कोई विभाजन या बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमि वादी के पिता मोतीराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 कमला ने संयुक्त रूप से कय की थी और तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में 1/2 भाग पर मोतीराम व शेष 1/2 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 कमला देवी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना विधिवत् विभाजन या बंटवारा कराये विवादित भूमि पर सड़क की ओर नलकूप खोदना चाहता है, दिनांक 29.09.2016 को प्रतिवादीगण नलकूप खनन की मशीन भी लेकर आये और जबरन नलकूप उत्खनन कराने पर आमदा हो गये। वादी ने बिना विभाजन कराये नलकूप खनन कराने से रोका तो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने कहा कि वे जबरन सड़क की तरफ की भूमि पर नलकूप खनन करायेगें और रोकने पर जान से मारने व सम्पूर्ण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी भी दी। वादी ने एस०डी०एम० के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को ट्यूबवेल उत्खनन करने से रोका गया है और अभी अंतिम निराकरण भी नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विवादित भूमि में से सड़क की तरफ की अच्छी भूमि पर कब्जा कर जबरन ट्यूबवेल खनन कराना चाहते हैं, दिनांक 10.09.2017 को भी जबरन ट्यूबवेल खनन की धमकी दी गयी और उक्त तथ्यों पर यह सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है और ट्यूबवेल उत्खनन करने पर वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाद के लम्बनकाल तक प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को निषेधित किया गया कि बिना विधिवत् बंटवारा कराये विवादित भूमि के किसी भी भाग पर ट्यूबवेल उत्खनन नहीं कराये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने अपने जवाब एवं लिखित कथन में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है कि विवादित भूमि वादी के पिता मोतीराम के साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 कमला देवी ने संयुक्त रूप से कय की है और प्रतिवादी क्रमांक 1 व उक्त मोतीराम का नाम सहस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में समान भाग पर दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का जवाब यह है कि विक्रय पत्र के समय से ही प्रतिवादी मौके पर विवादित भूमि की पश्चिम दिशा में काबिज हैं, वादी के पिता मोतीराम की मृत्यु हो चुकी है, वादी का नामांतरण भी नहीं हुआ है और वाद लाने के अधिकार भी नहीं है। वादी के पिता मोतीराम की मृत्यु के बाद मोतीराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विभाजन का प्रकरण भी तहसीलदार के समक्ष संस्थित किया है, दिनांक 05.09.2016 को ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने स्वत्व के हिस्से पर बोर कराया है और वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

**5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-**

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार****विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. उभयपक्षों के अभिवचनों में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि वादी के पिता मोतीराम व प्रतिवादी क्रमांक 1 कमला देवी ने क्रय की है और तदनुसार ही मोतीराम व कमला देवी का नाम विवादित भूमि के 1/2-1/2 भाग पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। वादी का पक्ष है कि विवादित भूमि का विभाजन या विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है और बिना खाता पृथक कराये प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 सड़क की तरफ अवैध नलकूप उत्खनन करा रहे हैं। उक्त तथ्यों के विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का जवाब संक्षेप में यह है कि दिनांक 05.09.2016 को ही नलकूप का उत्खनन का कार्य कराया जा चुका है और विवादित भूमि क्रय किये जाने के बाद से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अपने पश्चिमी हिस्से पर काबिज हैं।

7. उभयपक्ष के अभिवचन एवं विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादी के पिता मोतीराम (मृत) एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 कमला देवी सहस्वामी हैं और दोनों का समान भाग 1/2 पर स्वत्व है। स्वयं वादी पक्ष का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियों का कोई विभाजन या बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी दशा में विवादित भूमि संयुक्त स्वत्व व कब्जे की भूमि मानी जाएगी और यह स्थापित विधि है कि संयुक्त कब्जे की दशा में एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

8. यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि वादी के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विवादित भूमि पर सड़क की ओर नलकूप उत्खनन करा रहे हैं, अभिकथित नलकूप उत्खनन से विवादित भूमि के स्वरूप या स्थिति में परिवर्तन नहीं माना जा सकता है और सारतः प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी को ऐसी कोई क्षति होना संभाव्य नहीं है, जिसका धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न हो और वादी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है।

9. स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना वादी की सहमति के नलकूप उत्खनन करा रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक सहस्वामी दूसरे सहस्वामी की अनुमति या सहमति से ही संयुक्त स्वत्व व कब्जे की

भूमि का उपयोग या उपभोग करेगा और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने के पक्ष में है।

10. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व व संयुक्त कब्जे की भूमि है और एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है।

11. इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)